न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीकान्त व्यास आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर– 250/2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1–रड़मल पिता मांगीलाल रेबारी निवासी लापिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा —प्रार्थी

बनाम

1– गायड़ पिता भंवर रेबारी निवासी लापिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2–महबूबखां पिता इस्माइल खां कायमखानी निवासी लापिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3–कमला पत्नि शम्भू रेबारी निवासी लापिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4–भैरूलाल पिता मांगू भील निवासी लापिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित– श्री के0के0जीनगर (अधिवक्ता प्रार्थी)

निर्णय

दिनांक :– 09.06.2025

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज० भू० राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम लापिया पटवार हल्का बवराणा व भू.अ. निरीक्षक क्षैत्र महुआखुर्द तहसील बनेड़ा की नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के नवीन खाता सं. 71 में दर्ज आराजी नम्बर 1181/3 रकबा 0.4679 हैक्टर, आ0नं0 770 रकबा 0.3162 हैक्टर, आ0नं0 771 रकबा 0.0632 हैक्टर, आ0नं0 772 रकबा 0.2259 हैक्टर कुल कीता 4 कुल रकबा 1. 1002 हैक्टर भूमि** प्रार्थी के नाम खातेदारी से दर्ज है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के **अप्रार्थीगण** पडौसी है। **प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण** के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए **प्रार्थी** अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीवद्ध किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन नोटिस जारी किया गया। चूंकि प्रकरण मात्र सीमा जानकारी/पत्थरगढी का होने से न्यायहित में अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से वादवर्णित आराजीयात की सीमा जानकारी हेतु तहसीलदार बनेड़ा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर सीमा जानकारी कर रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई जो पत्रावली में संलग्न है जिसमें अंकित है कि प्रार्थी सीमाज्ञान से सन्तुष्ट है परन्तु अप्रार्थीगण सन्तुष्ट नहीं होने से यह प्रार्थनापत्र पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत किया है। **ग्राम लापिया पटवार हल्का बवराणा व भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र महुआखुर्द तहसील बनेड़ा की नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के नवीन खाता सं. 71 में दर्ज आराजी नम्बर 1181/3 रकबा 0.4679 हैक्टर, आ0नं0 770 रकबा 0.3162 हैक्टर, आ0नं0 771 रकबा 0.0632 हैक्टर, आ0नं0 772 रकबा 0.2259 हैक्टर कुल कीता 4 कुल रकबा 1.1002 हैक्टर** भूमि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी से दर्ज है। **प्रार्थी** अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा किसी प्रकार का राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतएव–

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर **ग्राम लापिया पटवार हल्का बबराणा व भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र महुआखुर्द तहसील बनेड़ा की नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के नवीन खाता सं. 71 में दर्ज आराजी नम्बर 1181/3 रकबा 0.4679 हैक्टर, आ0नं0 770 रकबा 0.3162 हैक्टर, आ0नं0 771 रकबा 0.0632 हैक्टर, आ0नं0 772 रकबा 0.2259 हैक्टर कुल कीता 4 कुल रकबा 1.1002 हैक्टर** भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक महुआखुर्द** को 1000/– **रूपये** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकरान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। कमिश्नर फीस प्रकरण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि **प्रार्थी** की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे। अतः **भू0अ0निरीक्षक महुआखुर्द जो** कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 09–**06–2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

न्यायालय/कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
बनेड़ा